न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–54/2018 रे0वाद
अर्न्तगत धाराः– 53 आर0टी0एक्ट

अनवान
उनवान प्रकरण

1. सोहनलाल पिता गेरू जी कुमावत, निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता बालुराम कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा, तहसील सहाड़ा।
2. भंवरलाल पिता गेरू कुमावत, निवासी दियास (मेघा का खेड़ा) तहसील सहाड़ा।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 08 /07 /2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील सहाडा के आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हे0 1164 रकबा 0.24 हे0 1165 रकबा 0.33 हे0 1209 रकबा 0.34 हे0 1210 रकबा 0.01 हे0 1211 रकबा 0.13 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 149 पर स्थित हैं। आराजी 1163 रकबा 0.03 हे0 व 1210 रकबा 0.01 हे किस्म गैमु0 चाह को छोडते हुएं शेष सभी आराजीयात का मुझ वादी 1/3 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक अपने अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 20.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 03.07.2018 को वाद प्रारम्भिंक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षो को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। **अतः**

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

क्रमशः

प्रकरण संख्या :—54/2018 रे0व
अर्न्तगत धारा:— 53 आर0टी0ए

—:आदेश:—

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वा सोहनलाल पिता गेरू कुमावत और प्रतिवादी संख्या एक व दो के मध्य संयुक्त खाते क भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. सोहनलाल पिता गेहरू लाल कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा खातेदार रहन बी.ओ.बी शाखा आशाहोली

आ0नं0	रकबा
1165/1	0.22
1164/1	0.10
कुल किता 2	**कुल 0.32 हे0**

2. भैरूलाल पिता बालुराम कुमावत सा. मेघा का खेड़ा खातेदार, रहन बी.ओ.बी. शाख आंशाहोली

आ0नं0	रकबा
1165/2	0.11
1164/2	0.10
1209/1	0.11
कुल किता 3	**कुल 0.32 हे0**

3. भंवरलाल पिता गेहरू लाल कुमावत सा. दियास खातेदार

आ0नं0	रकबा
1209/1	0.205
1211/1	0.115
कुल किता 2	**कुल 0.320 हे0**

4. शामलाती बदस्तुर

आ0नं0	रकबा
1163	0.03
1210	0.01
1164/3	0.04
1209/3	0.025
1211/2	0.015
कुल किता 5	**कुल 0.12**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 08/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(सी0एल0 शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–54 / 2018 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. सोहनलाल पिता गेरू जी कुमावत, निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता बालुराम कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा, तहसील सहाड़ा।
2. भंवरलाल पिता गेरू कुमावत, निवासी दियास (मेघा का खेड़ा) तहसील सहाड़ा।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

दिनांक 08 / 07 / 2019

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी सोहनलाल पिता गेरू कुमावत और प्रतिवादी संख्या एक व दो के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. सोहनलाल पिता गेहरू लाल कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा खातेदार रहन बी.ओ.बी. शाखा आशाहोली

आ0नं0	रकबा
1165 / 1	0.22
1164 / 1	0.10
कुल किता 2	**कुल 0.32 हे0**

2. भैरूलाल पिता बालुराम कुमावत सा. मेघा का खेड़ा खातेदार, रहन बी.ओ.बी. शाखा आशाहोली

आ0नं0	रकबा
1165 / 2	0.11
1164 / 2	0.10
1209 / 1	0.11
कुल किता 3	**कुल 0.32 हे0**

3. भंवरलाल पिता गेहरू लाल कुमावत सा. दियास खातेदार

आ0नं0	रकबा
1209 / 1	0.205
1211 / 1	0.115
कुल किता 2	**कुल 0.320 हे0**

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ... भीलवाड़ा

क्रमशः......

प्रकरण संख्या :–54/2018 रे0वाद
अर्न्तगत धारा:– 53 आर0टी0एक्ट

4. शामलाती बदस्तुर

आ0नं0	रकबा
1163	0.03
1210	0.01
1164/3	0.04
1209/3	0.025
1211/2	0.015
कुल किता 5	**कुल 0.12**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0एल0 शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 08/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 / केम्प कोर्ट कोशीथल

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–54 / 2018 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. सोहनलाल आत्मज गेरू कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

——वादी

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज बालुराम कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. भंवरलाल आत्मज गेरू कुमावत निवासी दियास (मेघा का खेड़ा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा ।

——प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–..................................

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 03.07.2018

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै0मु0 आचा, 1164 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 1209 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 1210 रकबा 0.01 गै0मु0 आचा, 1211 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 06 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से भूमि को उपजाऊ बनाने ऋण लेने में अडचन आती है। वर्णित आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का निहित है। जिसका विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम कराया जाए।

प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई तथा । प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 26.06.2018 को जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 की वर्णित आराजियात में मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्से का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

विभाजन करने की डिक्री फरमाई जावें। यह कि उक्त विभाजन में रास्ता छोड़ते/खुलासा करते हुए व दोनों कुओं पर तीनों खातेदारों का आने जाने का रास्ते का खुलासा करने की डिक्री फरमायी जावें। जवाब काउंटर क्लेम पर सहमती हेतु दिनांक 03.07.2018 को वादी सोहन लाल द्वारा एक शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या में वर्णित आराजियात कुल किता 6 रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि ग्राम उम्मेदपुरा में मेरा 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा हैं वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 प्रदर्श 01 है, हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 02 है। यह कि वाद पत्र में अंकित आराजियात में से 1163, 1210 किस्म गै0मू0 आराजी चाह होने से काबिल बंटवाड़ा नहीं होने से वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो के हिस्सेनुसार शामलाती दर्ज रेकार्ड रखा जावें। यह कि मुझ वादी के हिस्से अनुसार 1/3, 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में रास्ते का खुलासा करते हुए व कुएं पर जाने का रास्ता भी रखते हुए एवं उक्त कुएं के आराजी संख्या 1163 व 1210 हैं जिस पर संज बैल, ट्रेक्टर सहित का रास्ता खुलासा किये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा की आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै0मु0 आचा, 1164 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 1165 रकबा 0.33 हेक्टेयर, 1209 रकबा 0.34 हेक्टेयर, 1210 रकबा 0.01 गै0मु0 आचा, 1211 रकबा 0.13 हेक्टेयर कुल किता 06 रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी में र्ज होकर प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है जिसका वह विभाजन कराने का अधिकारी है एवं साथ ही हिस्से अनुसार 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में रास्ते का खुलासा करते हुए व कुएं पर जाने का रास्ता भी रखते हुए एवं उक्त कुएं के आराजी संख्या 1163 व 1210 हैं जिस पर संज बैल, ट्रेक्टर सहित का रास्ता खुलासा किया जाना आवश्यक है । अतः

-: आदेश :-

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै0मु0 आचा, एवं आ0सं0 1210 रकबा 0.01 गै0मु0 आचा को शामलाती रखते हए शेष आराजी नं0 1164 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 1165 रकबा 0.33 हेक्टेयर, 1209 रकबा 0.34 हेक्टेयर, 1211 रकबा 0.13 हेक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.04 हेक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा पृथक कायम करते हुये कब्जे काश्त का ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें एवं साथ ही हिस्से अनुसार 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में रास्ते का खुलासा करते हुए व कुएं पर जाने का रास्ता भी रखते हुए एवं उक्त कुएं के आराजी संख्या 1163 व 1210 हैं जिस पर संज बैल, ट्रेक्टर सहित का रास्ता खुलासा किया जावें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाडा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने दिनांक 06.08.2018 को पेश हो निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2.
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

: प्रारम्भिक डिक्री

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 / केम्प कोर्ट कोशीथल
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

शीर्षक

1. सोहनलाल आत्मज गेरू कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

——वादी

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज बालुरामकुमावत निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. भंवरलाल आत्मज गेरू कुमावत निवासी दियास (मेघा का खेड़ा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा ।

——प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 03.07.2018

प्रकरण संख्या :—54 / 2018रे.वाद
दावा अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.ए.

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत, की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.07.2018 को मेरे समक्ष विभाजन के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि :—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै0मु0 आचा, एवं आ0सं0 1210 रकबा 0.01 गे0मु0 आचा को शामलाती रखते हए शेष आराजी नं0 1164 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 1165 रकबा 0.33 हेक्टेयर, 1209 रकबा 0.34 हेक्टेयर, 1211 रकबा 0.13 हेक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.04 हेक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा पृथक कायम करते हुये कब्जे काश्त का ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें एवं साथ ही हिस्से अनुसार 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में रास्ते का खुलासा करते हुए व कुएं पर जाने का रास्ता भी रखते हुए एवं उक्त कुएं के आराजी संख्या 1163 व 1210 हैं जिस पर संज बैल, ट्रेक्टर सहित का रास्ता खुलासा किया जावें। तहसीलदार सहाड़ा को विधिवत बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो। डिकी आज तारीख 03.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)